राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 241/2023

ओम प्रकाश माथुर

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्था, जयपुर।
3. अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जैसलमेर वृत जैसलमेर।
4. सहायक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ग्रामीण उपखण्ड जैसलमेर, जिला जैसलमेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 30.08.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.एस. बिस्सा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवंत मेहता ,राजकीय अधिवक्ता

.

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किए हैं कि अपीलार्थी को 18 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय चयनित वेतनमान 4000–6000 की वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारित किया गया। इसके पश्चात् 27 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर वेतनमान 5000–8000 की वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारित किया जाना चाहिए था, परन्तु 27 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर अपीलार्थी को 4000–6000 की वेतन श्रृंखला में ही रखा गया, जो गलत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को तृतीय एसीपी उच्च वेतन श्रृंखला में प्रदान की जानी चाहिए थी, जो अपीलार्थी को प्रदान नहीं की गई।
2. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
3. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3631/2008 सोहन लाल माथुर बनाम राज्य एवं अन्य में निर्णय दिनांक 17.11.2008 पारित कर निम्न प्रकार से निर्णय पारित किया हैः–

> "In view of whatever said above, this petition for writ deserves acceptance and, therefore, the same is. The respondents are directed to allow selection grade to the petitioner on completion of 18 years of service as per para 5 of the notifications dated 25.1.1992 and 17.2.1998. The petitioner is declared entitled for getting the pay scale

> of Rs.1400-2600 (Rs.5000-8000) as second selection grade on completion of 18 years of service and the pay scale of Rs.5500-9000 on completion of 27 years of service as the third selection grade. The entitlement as declared above is required to be executed by the respondents within a period of six months from today."

4. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि सलेक्शन स्केल का लाभ दिए जाने पर कार्मिक उच्च स्केल प्राप्त करने का अधिकारी होता है। ऐसे में हम पाते हैं कि अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ उसी पे–स्केल में दिया जाना उचित नहीं है, जिस पर वो पूर्व में कार्यरत था। अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ 5000–8000 में वेतन श्रृंखला प्राप्त करने का अधिकारी होता है।
5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ 5000–8000 की वेतन श्रृंखला में प्रदान किया जाए। अपीलार्थी का पुनः वेतन निर्धारण कर अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जाये।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)